क्रम-संख्या--244

रजिस्टर्ड नं० एल. डब्लू./एन. पी. 581

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 मई, 1994

ज्येष्ठ 7, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 890 / सत्रह-वि-1-1 (क)-18-1994

लखनऊ, 28 मई, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 28 मई, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

"(2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसमें उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व गठित प्रबन्ध कमेटी सम्मिलित है जिसका कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को समाप्त नहीं हुआ है; पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व गठित प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में पद "कार्यकाल" का तात्पर्य तीन वर्ष की अवधि से है।

(ख) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् ---

"(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन, विहित रीति से, प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी असाधारण परिस्थिति के कारण, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन पूरा न कर लिया गया हो, या पूरा न किया जा सका हो, निबन्धक अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल में इस प्रकार विस्तार कर सकता है कि कोई एक विस्तार तीन मास से अधिक का नहीं होगा और कुल विस्तार छः मास से अधिक नहीं होगा और निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार विस्तार किए गए कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी को पुनर्गठित कराए और ऐसी प्रबन्ध कमेटी बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी को प्रतिस्थापित करेगी भले ही उसका विस्तार किया गया कार्यकाल समाप्त न हुआ हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जैसी वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, प्रबन्ध कमेटी की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने या 31 दिसम्बर, 1994 तक, इनमें जो भी पहले हो, करती रहेगी।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिये अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजें; "

(ग) उपधाराएं (5) और (6) निकाल दी जायेंगी।

धारा 32 संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जाएगा।

धारा 35 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 35 में,--

(क) उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्--

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही छः मास के भीतर पूरी कर ली जाएगी, और यदि यह इस अवधि में पूरी नहीं की जाती है, तो उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गई कार्यवाही समाप्त समझी जाएगी और प्रबन्ध कमेटी यदि निलम्बित हो तो पुनर्स्थापित हो जाएगी।" ;

(ग) उपधारा (3) में,--

(एक) शब्द "एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "छः मास से अनधिक अवधि के लिए" रख दिए जायेंगे,

(दो) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाएगा;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 58 में,--

(क) धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्,--

"(1) किसी सहकारिता वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जाएगा--

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस;

(च) चालू व्यय जिसमें, मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का ह्रास सम्मिलित है;

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान :

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है;

(1-क) सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन यथा संगणित किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को, जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी--

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जाएगी, जिसे रक्षित निधि कहा जाएगा;

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय जमा की जायेंगी, और यह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो;

(ग) ऐसी धनराशि जो विहित की जाय, सहकारी समितियों के सम्बन्धित वर्ग की शीर्ष समिति में सृजित शोध और विकास निधि में जमा की जायेंगी और जिसे शोध और विकास के प्रयोजन के लिए विहित रीति में अनुरक्षित किया जायेगा।" ;

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "अशोध्य ऋण निधि" निकाल दिए जायेंगे;

(दो) खण्ड (ङ) और (च) निकाल दिए जायेंगे।

धारा 71-क का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 71-क में, शब्द "धारा 70 या यथास्थिति धारा 92," जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95-क" रख दिए जायेंगे।

धारा 92 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 92 में शब्द "प्रत्येक आदेश" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 95-क के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण-पत्र" पर रख दिए जायेंगे।

धारा 95-क का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 95-क में, उपधारा (2) में, शब्द "भाल गुजारी की बकाया की भांति वसूल" के स्थान पर शब्द "धारा 92 के अधीन निष्पादित" रख दिए जायेंगे।

धारा 96 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (2) में, शब्द "एक या" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 98 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 98 में,--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, अन्त में शब्द--

"या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन, किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) शब्द "खण्ड (घ), (च), (छ), (ट) और (ठ)" के स्थान पर, शब्द "खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ट) और (ठ)" रख दिए जायेंगे;

(दो) शब्द "खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड) और (ढ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ)" रख दिए जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्, --

"(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद पर दिया गया हो तो न्यायाधिकरण को।"।

धारा 103 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 103 में उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्,--

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, वह नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष से अनधिक कारावास से या पांच हजार रुपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

धारा 113 का निकाला जाना

12--मूल अधिनियम की धारा 113 निकाल दी जायगी।

धारा 128 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 128 में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्,--

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम न होगी, के भीतर, यथास्थिति, प्रस्ताव पर, या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो वह ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या उस आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है।"

आज्ञा से,
एन० के० नारंग,
सचिव।

No. 890 (2)/XVII—V—1—1 (KA)-18-1994
Dated Lucknow, May 28, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 28, 1994.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1994

(U. P. ACT NO. 17 OF 1994)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of section 29 of U.P Act No. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely—

"(2) The term of every Committee of Management, including a Committee of Management constituted before the commencement of the U. P. Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994 whose term has not expired on the date of such commencement, shall be five years, and the term of the elected members of the Committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the expression "term" in respect of a Committee of Management constituted before the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994, means a period of three years ;

(*b*) *for* sub-sections (3) and (4), the following sub-sections shall be *substituted*, namely,—

"(3) Election to reconstitute the Committee of Management of a Co-operative Society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the Registrar atleast fifteen days before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section (2) :

Provided that, where for any extraordinary circumstance, the election of the members of the Committee of Management has not been completed, or could not be completed, the Registrar may, for reasons to be recorded, extend the term of the outgoing Committee of Management so however, that any single extension does not exceed three months and the total extension does not exceed six months and it shall be the duty of the Registrar to get the Committee of Management reconstituted before the expiry of the term so extended and such Committee of Management shall replace the outgoing Committee of Management even though its extended term may not have expired :

Provided further that notwithstanding anything in this Act, the Administrator or the Committee of Administrators appointed under this section, as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994 shall continue to exercise the powers and perform the duties of the Committee of Management till the Committee of Management is reconstituted under this Act or till December 31, 1994, whichever is earlier.

(4) It shall be the duty of the Secretary or, as the case may be, the Managing Director of the Co-operative Society to send to the Registrar, four months before the expiry of the term of Committee of Management, a requisition for conducting the election and to furnish all such information as may be required by him within such period as may be fixed by him.";

(*c*) Sub-sections (5) and (6) shall be *omitted.*

Amendment of section 32

3. In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), clause (*b*) shall be *omitted.*

Amendment of section 35

4. In section 35 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the proviso shall be *omitted.*

(*b*) in sub-section (2), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted,* namely,—

"Provided further that the proceedings under sub-section (1) shall be completed within six months, and if it is not completed within this period, the proceeding initiated under sub-section (1) shall be deemed to have been dropped and the Committee of Management, if under suspension shall stand reinstated ;

(*c*) in sub-section (3),—

(*i*) *for* the words "for a period not exceeding one year" the words "*for* a period not exceeding six months" shall be *substituted ;*

(*ii*) the first proviso shall be *omitted* ;

(*d*) in sub-section (7), the words "of the provisio to sub-section (3)" shall be *omitted.*

Amendment of section 58

5. In section 58 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-sections shall be *substituted,* namely,—

"(1) the net profit of the Co-operative Society in a co-operative year shall be computed after deducting the following from its gross profit in that year—

(*a*) interest that is overdue ;

(*b*) managerial expenses ;

(*c*) contributions to the provident fund or the gratuity fund of the employees ;

(*d*) interest on loans and deposits ;

(*e*) audit fee ;

(*f*) working expenses which include repairs, rents, taxes and depreciation of property ;

(*g*) contribution to the fund created for writing off unadjusted bad debts and losses :

Provided that a co-operative society may add to the net profit of a year, the interest which accrued in the previous year but which was recovered in the year.

(1-A) A co-operative society shall distribute the net profits of a year as computed under sub-section (1), including the net profits brought forward from the previous years, in the following manner—

(*a*) an amount not less than twenty-five per cent shall be transferred to a fund called the reserved fund ;

(*b*) not less than such amount as may be prescribed, shall be credited to a co-operative education fund to be established in the manner prescribed, and this shall be applicable to such co-operative societies also which incur loss in the year ;

(*c*) an amount that may be prescribed, shall be credited to the research and development fund created in the apex society of the concerned class of co-operative societies and which shall be maintained for the purpose of research and development in the prescribed manner" ;

(*d*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*c*), the words "bad debt fund", shall be *omitted* ;

(*ii*) clauses (*e*) and (*f*) shall be *omitted.*

Amendment of section 71-A

6. In section 71-A of the principal Act, *for* the words "Section 70 or section 92", wherever occuring, the words "section 70, section 91, section 92 or section 95-A" shall be *substituted.*

Amendment of section 92

7. In section 92 of the principal Act, *after* the words and figure "section 100", the words and figure "or a certificate for recovery issued under section 95-A" shall be *inserted.*

Amendment of section 95-A

8. In section 95-A of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "recoverable as arrears of land revenue", the words "executable under section 92" shall be *substituted.*

Amendment of section 96

9. In section 96 of the principal Act, in sub-section (2), the words "one person or" shall be *omitted.*

Amendment of section 98

10. In section 98 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*c*), the words "or an order passed under sub-section (1) of section 38 for removal of an officer from the office held by him or to disqualify him from holding any office" shall be *inserted* at the end ;

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) *for* the words "clauses (*d*), (*f*), (*g*), (*k*) and (*l*)", the words "clauses (*c*), (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), (*k*) and (*l*)" shall be *substituted* ;

(*ii*) *for* the words "clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*e*), (*h*), (*i*), (*j*), (*m*), and (*n*)" the words "clauses (*a*), (*b*), (*h*), (*i*), (*j*), (*m*) and (*n*)" shall be *substituted* ;

(*iii*) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely,—

"(*c*) if the order or award was made on a dispute relating to an election, to the Tribunal.".

Amendment of section 103

11. In section 103 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely,—

"Provided that, any person who does an act in relation to elections which has been made an offence under the rules, shall be punishable with imprisonment for such term not exceeding two years, or with fine not exceeding rupees five thousand as may be provided in the rules, or with both".

Omission of section 113

12. Section 113 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 128

13. In section 128 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted* at the end, namely,—

"Provided that, the Registrar shall, before making any order, require the Committee of Management, general body or officer of the co-operative society to reconsider the resolution, or as the case may be, the order, within such period as he may fix but which shall not be less than fifteen days, and if he deems fit may stay the operation of that resolution or the order during such period."

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 51 सा0 (विधा0)—(502)—1994—850 (मेक0)